

राजस्थान सरकार
कार्यालय निदेशालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर
क्रमांक: एफ20(101)/लेखा/निकाशि/पी.डी./ ११

दिनांक: २८-७-२०२०

✓ प्राचार्य,

राजकीय महाविद्यालय


बानसूर, अलवर

विषय: ब्याज रहित निजी निक्षेप खाता खोलने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त (मार्गोपाय) विभाग के पत्र क्रमांक प.८(४)विमा/२०२० जयपुर, दिनांक १ जुलाई २०२० (प्रति संलग्न) के अनुसार संबंधित उपकोषाधिकारी, बानसूर को आपके महाविद्यालय का ब्याज रहित निजी निक्षेप खाता खोलने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। यदि अभी तक महाविद्यालय का ब्याज रहित निक्षेप खाता नहीं खुला हो तो संबंधित कोषालय से संपर्क कर निजी निक्षेप खाता संख्या प्राप्त कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करायें।


संलग्न: उपरोक्तानुसार


वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

दिनांक: २८-७-२०२०

क्रमांक: एफ20(101)/लेखा/निकाशि/पी.डी./ २२
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

१. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।


वित्तीय सलाहकार
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(मार्गोपाय अनुभाग)

प.8(4)विमा/2020

जयपुर, दिनांक 1 जुलाई, 2020

उप कोषाधिकारी,
बानसूर।

विषय :- राजकीय महाविद्यालय बानसूर, (अलवर) के नाम से ब्याज रहित निजी निक्षेप खाता खोलने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार उच्च शिक्षा विभाग, जयपुर की पत्रावली संख्या एफ 20(101) लेखा / निकाशि/ पी.डी में किए गए प्रस्ताव के अनुसार राजकीय महाविद्यालय बानसूर, (अलवर), के नाम से ब्याज रहित निजी निक्षेप खाता संख्या 6951 निम्नांकित बजट मद में खोले जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है :-

- 8443 - सिविल जमा
- 00 - सिविल जमा
- 106 - व्यक्तिगत जमा
- (00) - व्यक्तिगत जमा
- [00] - व्यक्तिगत जमा

महाविद्यालय के वित्तीय कार्य के सम्पादन हेतु

उक्त खाते का संचालन प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय बानसूर, (अलवर) के एकल हस्ताक्षर द्वारा किया जावेगा। कृपया राजकीय महाविद्यालय बानसूर, (अलवर) का निजी निक्षेप खाता खोलकर इस विभाग एवं अन्य संबंधितों को सूचित करें।

भवदीय

४.
(सुनील सोनी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव (उच्च शिक्षा) विभाग
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
4. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
5. तकनीकी निदेशक, NIC (IFMS Cell), सचिवालय, जयपुर
6. प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय बानसूर, (अलवर)
7. कोषाधिकारी, अलवर
8. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

